

- 6.2 विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधन के अधीन आयोग इन नियमों के किसी भी प्रावधान को जोड़, रूपान्तरित, विलोप या संशोधित कर सकता है।

#### **कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियाँ**

- 6.3 यदि इन विनियमों में से किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग कठिनाई को दूर करने के लिये इस तरह के प्रावधानों को, जो आवश्यक प्रतीत हो और इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं, बना सकता है।

#### **आयोग की निहित शक्तियाँ**

- 6.4 इन विनियमों के कुछ भी आयोग की ऐसे आदेश करने की जो न्याय के उद्देश्यों के लिये या आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये आवश्यक हों, निहित शक्तियों को प्रभावित करने, सीमित करने या अन्यथा के लिये नहीं समझा जायेगा।

आयोग की आज्ञा से

सचिव

मूल अंग्रेजी भाषा मे विनियम व उसके हिन्दी रूपान्तरण में अगर अन्तर होता है, तो अंग्रेजी भाषा का अभिप्राय ही मान्य होगा।

अनुलग्नक-।

#### **शिकायत के निवारण के लिये फोरम को आवेदन**

दिनांक: .....

सेवामें,

.....  
.....  
.....

1. शिकायतकर्ता का नाम: .....

2. शिकायतकर्ता का पूरा पता: .....

पिन कोड: .....

फोन नम्बर/मोबाइल नम्बर: .....

ई-मेल आईडी: .....

3. कनेक्शन की प्रकृति और उपभोक्ता संख्या (कनेक्शन के लिये आवेदन करने के मामले में, आवेदन संख्या देवें) .....

4. वितरण अनुज्ञप्तिधारी: .....

5. उप-खण्ड/खण्ड/वृत का नाम (आईजीआर प्रकोष्ठ) और तारीख जिस पर अनुज्ञप्तिधारी को शिकायत दायर करायी गयी है: .....(आदेश की प्रति संलग्न करें, यदि कोई हो)

6. जोनल फोरम का नाम जहां शिकायत दायर करायी गयी (कॉर्पोरेट स्तर सीजीआरएफ को अपील के मामले में): ..... (आदेश की प्रति संलग्न करें, यदि कोई हो)

7. शिकायत की श्रेणी (संबंधित बॉक्स/बक्सों पर टिक करें):

- गलत बिलिंग
- बकाया की वसूली
- दोषपूर्ण मीटर
- जला हुआ मीटर
- आपूर्ति में व्यवधान
- आपूर्ति में लयबद्धता

- आपूर्ति वोल्टेज संबंधित
- सर्विस में कमी
- नया कनेक्शन प्रदान करने में देरी
- पुनःकनेक्शन
- सम्बद्ध भार में परिवर्तन
- कनेक्शन का स्थानान्तरण
- अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

8. कर्मचारी/कर्मचारियों का नाम (कर्मचारी आईडी या विभाग निर्दिष्ट करें) या विभाग जिनके विरुद्ध शिकायत दायर की गयी है (यदि कोई हो):

.....  
.....

9. शिकायतकर्ता का विवरण, तथ्य जिनके कारण शिकायत की जा रही है (यदि पर्याप्त स्थान नहीं है तो कृपया अलग शीट संलग्न करें):

.....  
.....

10. फोरम से मांगी गई राहत की प्रकृति

.....  
.....

11. संलग्न दस्तावेजों की सूची (कृपया किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज की प्रतिलिपि संलग्न करें जो शिकायत को पैदा करने वाले तथ्यों का समर्थन करते हैं)

.....  
.....

12. घोषणा

क) मैं/हम, शिकायतकर्ता घोषणा करता हूँ/करते हैं कि:

- i) इसमें ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है; तथा
  - ii) मैंने/हमने ऊपर वर्णित कथित कथनों और इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी तथ्य को न तो छुपाया है न ही गलत ढंग से प्रस्तुत किया है।
- ख) मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार मेरे द्वारा/या हम में से किसी के द्वारा या विषय-वस्तु से संबंधित किसी भी पक्ष द्वारा वर्तमान शिकायत की विषय-वस्तु कभी भी फोरम को प्रस्तुत नहीं की गयी है।
- ग) मेरी/हमारी शिकायत की विषय-वस्तु को किसी भी पिछली कार्यवाही में फोरम के माध्यम से सुलझाया नहीं गया है।
- घ) मेरी/हमारी शिकायत की विषय-वस्तु को किसी भी सक्षम प्राधिकारी/ न्यायालय/ मध्यस्थ द्वारा निर्णीत नहीं किया गया है, और इस तरह के किसी भी प्राधिकारी/ अदालत/मध्यस्थ के समक्ष लंबित नहीं हैं।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(ब्लॉक लेटर्स में शिकायतकर्ता का नाम)

नामकरण-(यदि शिकायतकर्ता अपने प्रतिनिधि को फोरम के समक्ष अपनी ओर से उपस्थित होने और निवेदन करने के लिये नामित करना चाहता है, तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिये।)

मैं/हम उपर्युक्त नामित उपभोक्ता एतद्वारा श्री/श्रीमती .....जिसका पता ..... है को कार्यवाही में यथा मेरा/हमारा प्रतिनिधि नामित करता हूँ/करते हैं, और पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि उसके द्वारा किये गये कोई भी बयान, स्वीकृति या अस्वीकृति मेरे/हमारे लिये बाध्यकारी होगी। उसने मेरी/हमारी उपस्थिति में नीचे हस्ताक्षर किये हैं।

स्वीकार किया

(प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

(शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर)